राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामधन बनाम बद्री हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/10/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 16/10/2025 को पेश हो।	
16/10/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 11/04/2011 पारित करते हुये अपीलार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी पर प्रार्थी/विपक्षी को कोई आपत्ति है तो कुर्रेजात पर आपत्ति को सुना जाना न्यायसंगत होगा का तथ्य अंकित करते हुये ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी रामधन एवं सोनी बेवा रामबक्श ने इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी मौखिक बहस की। अधिवक्ता उभयपक्ष को बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के आधार पर यह जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा उन्हें सुने बिना ही प्राथमिक डिक्री पारित हो जाने के उपरान्त विचाराधीन प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सीपीसी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है एवं दौराने बहस अपीलार्थी द्वारा केवल मात्र तामील के बिन्दु पर आपत्ति जाहिर की गयी है किन्तु उनके द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज सहखातेदारान के हिस्से अथवा सन्दर्भित प्राथमिक डिक्री के गुणावगुण पर कोई आपत्ति जाहिर नही की गयी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11/04/2011 निरस्त किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 जाप्ता दीवानी इस आशय के साथ स्वीकार किया जाता है कि विचारण न्यायालय प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अपीलार्थी सहित अन्य पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार करवाया जाना सुनिश्चित कर पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर प्राप्त आपत्तियो का निस्तारण करने के पश्चात ही विधिसम्मत अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित करे। तदनुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16/10/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	